राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र. दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

F. No. स्वा.एव.प.क.वि./ प्र0शा0 / 2022/1072 दिनांक: 28.03.2022

सेवा में

उप–सचिव, (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054

विषय: विधान सभा सत्र दिनांक 29.03.2022 में माननीय विधायक श्री विशेष रवि द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या –158 का उत्तर ।

(अतारांकित प्रश्न संख्या – 158)

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बंधित उत्तर की 100 प्रतियां, PDF सहित अग्रिम कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

यह सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से जारी किया गया है ।

ओ. पी. पाण्डे
(ओ. पी. पाण्डे)
उपसचिव (प्रश्न शाखा)

संलग्न –उपरोक्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित/अतारांकित	:	अतारांकित
प्रश्न संख्या	:	158
दिनांक	:	29.03.2022
प्रश्नकर्त्ता का नाम	:	श्री विशेष रवि

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

	प्रश्न	उत्तर
क)	सर गंगाराम हॉस्पिटल को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रोगियों को दाखिल न करने और उनका उपचार न करने के लिए दिया गया 'कारण बताओ नोटिस' वापस लिये जाने के क्या कारण है	दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 1 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निदेशक चिकित्सा, सर गंगा राम अस्पताल को 17.11.2021 को महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं सह पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। उक्त सुनवाई के दौरान डॉ. (ब्रिगेड) सतेन्द्र कटोच निदेशक (चिकित्सा) ने अध्यक्ष को बताया कि निशुल्क उपचार सर गंगा राम अस्पताल की उपलब्धि कोविड महामारी के कारण प्रभावित हुई और आश्वासन दिया कि अस्पताल शीघ्र ही मुफ्त इलाज की मात्रा का इष्टतम स्तर यानी 10 प्रतिशत आई.पी.डी. और कुल ओ.पी.डी. का 25 प्रतिशत प्राप्त करेगा। डॉ. (ब्रिगेड) सतेन्द्र कटोच ने बताया कि आज की तिथि में सभी निर्धारित निशुल्क बिस्तरो पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र रोगी दाखिल हैं और कोई भी निशुल्क बिस्तर उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि अस्पताल दिनांक 26.09.2011 और उसके बाद के नए दिशानिर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदंड एवं दिनांक 17.10.2017 की बैठक के कार्यवृत सहित इस निदेशालय द्वारा जारी संचार का पालन करेगा। निदेशक (चिकित्सा), सर गंगा राम अस्पताल द्वारा दिये गये निम्नलिखित स्पष्टीकरण एवं आश्वासन: (क) दिनांक 26.09.2011 के नये दिशानिर्देशों को अपनाने और बाद में जारी संचार के संबंध में इस निदेशालय द्वारा दिनांक 17.10.2017 की बैठक के कार्यवृत सहित **w.r.t.** पात्रता मानदंड इसके सच में पत्र और आत्मा: (ख) विशेष रूप से ई.डब्ल्यू.एस. के पात्र रोगियों के लिए निर्धारित मुफ्त बिस्तरों का उपयोग निर्धारित श्रेणी और आयुष्मान भारत पी.एम.–जे.ए.वाई. रोगियों और **DAK** के लिए अलग व्यवस्था करना। (ग) निशुल्क ओपीडी पंजीकरण प्रकिया को यथाशीघ्र सुव्यवस्थित करना तथा (घ) निकट भविष्य में अस्पताल की मुफ्त उपचार उपलब्धि को एक ईष्टतम स्तर (10 प्रतिशत आईपीडी और 25 प्रतिशत कुल ओपीडी) में सुधार करने को ध्यान में रखते हुए स्थास्थ्य महानिदेशालय द्वारा दिनांक 13.09.2021 को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस का सर गंगा राम अस्पताल द्वारा दिया गया दिनांक 13.10.2021 का जवाब संतोषजनक पाया गया।
ख)	उक्त नोटिस पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;	दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम 1953 की धारा 8 की उप–धारा 1 के तहत निर्धारित प्रावधानों के तहत नोटिस देने की कार्यवाही की गई है।
ग)	शिकायत पर कार्रवाई के बिना और अधोहस्ताक्षरी सहित शिकायतकर्ता को सूचित किए बिना लाइसेंस का नवीकरण क्यों किया गया और अस्पताल की शिकायतों को संज्ञान में लिए बिना संबंधित अधिकारी द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण के क्या कारण थे;	शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी। यद्यपि दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम 1953 के अंतर्गत पंजीकरण नवीनीकरण करने से पूर्व शिकायतकर्ता को सूचित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

27-3-2022
MANISHA SAXENA
Pr. Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
Secretariat, New Delhi-02

घ)	ईडब्लयूएस श्रेणी के रोगियों के उपचार से संबंधित नियमों के उल्लंघनों को संज्ञान में लिए बिना लाईसेंस नवीनीकरण करने वाले अधिकारियों का पूर्ण विवरण दें;	निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स का पंजीकरण तथा नवीनीकरण दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम 1953 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के आधार पर किया जाता है। उपरोक्त अधिनियम अथवा नियम में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के रोगियो के उपचार से संबंधित कोई भी धारा/उप–धारा/खण्ड /उप–खण्ड उपलब्ध नहीं है। अतः इसके पंजीकरण के नवीनीकरण में किसी भी नियम का उलंघन नहीं किया गया है।
ड)	स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को किसी पद पर तैनात किए जाने के शासकीय नियम–कायदे क्या हैं, इन नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी को अधिकतम कितनी अवधि तक के लिए एक ही पद पर तैनात किया जा सकता है;	अतिसंवेदशील पद पर तीन साल एवं संवेदनशील पद पांच साल तक तैनात किये जाने का प्रावधान है।
च)	लाईसेंस नवीनीकरण करने वाले अधिकारी कितने समय से वर्तमान पद पर तैनात हैं;	डॉ. नूतन मुंडेजा, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं के पद पर मई 2020 से तैनात है, तथा उनके सहायक डॉ. आर. एन. दास, चिकित्सा अधीक्षक, नर्सिंग होम्स के पद सितम्बर 2019 से तैनात है।
छ)	क्या यह सत्य है कि उपरोक्त अधिकारी वर्तमान पद पर निश्चित प्रदान की गई समयावधि के बाद भी कार्यरत हैं; और	जी नहीं।
ज)	यदि हाँ, तो ऐसा क्यों और उनकी वर्तमान तैनाती की अवधि को विस्तार देने वाले अधिकारी कौन हैं?	मान्य नहीं है।

मनीषा
27.2.2022

(मनीषा सक्सेना)
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

MANISHA SAXENA
Pr. Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02